

जनपद रुधामसिंह नगर

वर्ष 2015-16

अध्याय-1

प्रस्तावना, परिकल्पना व उद्देश्य

आँधी तूफान एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों, खम्भों एवं परिवर्तकों को पुनः स्थापित करने उनका सुदृढीकरण करने एवं मरम्मत आदि कर आपदा ग्रस्त क्षेत्र की जनता को विद्युत आपूर्ति की जाती है। आपदा के कारण विद्युत वाधित होने से सम्बन्धित क्षेत्र अन्धकारमय हो जाता है, वहाँ की जलापूर्ति ठप्प हो जाती है तथा विद्युत से चलने वाले समस्त उद्योग धन्धे बन्द हो जाते हैं। विद्युत आपूर्ति वाधित होने से सम्बन्धित क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी होती है फलस्वरूप में उनमें आक्रोश उत्पन्न होता है। अतः उपरोक्त समस्याओं के निवारण हेतु विद्युत आपूर्ति शीघ्रातिशीघ्र सुचारु करना आवश्यक हो जाता है, जो विभाग की प्राथमिकता है।

अध्याय-2

आपदाओं के प्रति राज्य की संवेदनशीलता (vulnerability) एवं पूर्व में आपदा की स्थितियों में विभाग द्वारा सम्पादित विषिष्ट कार्य

जनपद भूकम्प, आँधी तूफान एवं बाढ़ के प्रति बेहद संवेदनशील है भूकम्प में संभावित परिमाण (magnitude) भौगोलिक विस्तार (geographical extent) काफी व्यापक होता है। विद्युत लाइनों खम्भों एवं परिवर्तकों के क्षतिग्रस्त होने के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है विद्युत आपूर्ति बन्द होने से सम्बन्धित क्षेत्र में व्यापक असर पड़ता है, इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियों में त्वरित गति से विद्युत आपूर्ति बहाल करना नितान्त आवश्यक है। विद्युत आपूर्ति वाधित होने के कारण सभी प्रकार का औद्योगिक उत्पादन बन्द हो जाता है इसके कारण जनता को आवश्यकीय एवं दैनिक उपभोग की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है जिसके कारण जनता में रोष व्याप्त होता है साथ ही विद्युत आपूर्ति बाधित होने से विभाग को राजस्व की हानि भी होती है। लाइनों एवं परिवर्तकों पर होने वाले मरम्मत/नवीनीकरण पर होने वाले व्यय का आकलन अवर अभियन्ता द्वारा तात्कालिक तौर पर नुकसान की मात्रा के आधार पर किया जाता है।

पूर्व में घटित आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों को दुरस्त किया गया, टूटे हुए खम्भों को बदला गया तथा क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलकर उनके स्थान पर नये परिवर्तक स्थापित कर विद्युत आपूर्ति शीघ्रातिशीघ्र सुचारु की गई।

अध्याय- 3

विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्यों का विवरण व इनमें आपदा प्रबन्धक सम्बन्धित पक्षों के समावेश की सम्भावनायें

आपदा से पहले—आपदा से पहले विद्युत उपकरणों जैसे विद्युत खम्भे, परिवर्तक, विद्युत तार आदि क्रय कर भण्डार में सुरक्षित रख लिये जाते हैं, तथा आपदा में राहत कार्य हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर उनकी टीम बनाई जाती है जो कि क्षेत्र में आपदा के समय राहत कार्यों में सहयोग करते हैं।
आपदा के दौरान—विद्युत आपूर्ति आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित होने के कारण आपदा की अवधि में ही सुचारु करने का पूर्ण एवं सार्थक प्रयास किया जाता है। आपदा राहत कार्यों हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गठित टीम को आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जाता है जो वहाँ पर राहत कार्यों में सहयोग करते हैं।

आपदा के उपरान्त—आपदा के उपरान्त क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों की मरम्मत, विद्युत खम्भों को बदलना एवं क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों को पुनःस्थापित कर विद्युत आपूर्ति सुचारु की जाती है यदि क्षति छोटे स्तर पर है तो उपलब्ध संसाधनों द्वारा उसे सुचारु कर लिया जाता है, जबकि बड़े स्तर पर हुई क्षति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है।

अध्याय- 4

आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले उत्तरदायित्वों (reponsibilities) का विवरण

विद्युत लाइनों की मरम्मत एवं सुदृढीकरण तथा पुर्ननिर्माण कार्य, क्षतिग्रस्त परिवर्तकों एवं लाइनों को तत्काल बदलने/ठीक करने हेतु सामग्री की व्यवस्था के लिए लगातार भण्डार स्कन्ध के साथ समन्वय बनाये रखना, कार्यदायी फर्मों से लगातार सम्पर्क बनाये रखना। कार्मिकों की कार्यस्थल पर उपस्थिति, आपदा से पूर्व विद्युत उपकरणों जैसे—पोल एवं परिवर्तक, कण्डक्टर इत्यादि क्रय कर भण्डार में सुरक्षित रखी जाती है, इसके अतिरिक्त सैल्फ हैल्प ग्रुप या सहायता समूहों द्वारा भी इस कार्य में सहायता लिया जाता है, जिससे क्षेत्र की जनता को जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। सम्बन्धित क्षेत्र में उपरोक्त की बहाली सुनिश्चित करने का कार्य अधिशासी अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी सहित अधिकारियों से लिया जाता है। सूची संलग्न

अध्याय— 5

विभाग द्वारा नियमित रूप से किये जाने वाले कार्यों के अर्न्तगत आपदा न्यूनीकरण (mitigation) रोकथाम (prevention) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम व उनके सफल सम्पादन हेतु विकसित रणनीति

विभागीय अवसंरचनाओं का मजबूतीकरण— विभाग द्वारा कार्यों को मानकों के अनुरूप मजबूत एवं टिकाऊ रूप से किया जाता है कि ताकि आपदा की स्थिति में कम से क्षति हो तथा उनके पुनर्स्थापन में समस्या न हो।

विभागीय कार्य विशेष के सन्दर्भ में आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूप रेखा—विद्युत लाइनों एवं 11/0.4 के.वी. उपकेन्द्रों का निर्माण आबादी से हटकर किया जाता है ताकि किसी आपदा आदि की स्थिति में उनके क्षतिग्रस्त होने एवं गिरने तथा परिवर्तक से तेल रिसाव व आग लगने पर जनहानि कम से कम हो एवं विद्युत लाइनों के निर्माण के समय उनके किसी मार्ग, टेलीफोन एवं अन्य विद्युत लाइन के ऊपर से गुजरने की स्थिति में उनकी गार्डिंग मानकानुसार की जाती है ताकि टूटने पर भी वे किसी लाइन अथवा मार्ग में ना गिरने पायें। इसके अतिरिक्त आबादी के मध्य अथवा सनिकट परिवर्तकों पर फेंसिंग (बाड़) आदि लगाई जाती है व विद्युत खम्भों पर कंटीले तार लगाये जाते हैं ताकि कोई मानव या पशु उनके सम्पर्क में ना आये पाये।

इन कार्यों के सम्पादन हेतु प्रशासनिक व वित्तीय व्यवस्थायें— आपदा के कारण क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों, खम्भों एवं परिवर्तकों की पुनर्स्थापना हेतु रू० 2.00 लाख तक की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, सम्बन्धित मण्डल एवं रू० 5.00 लाख तक की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाती है तथा 5.00 लाख से अधिक की स्वीकृति मुख्यालय स्तर से प्रदान की जाती है ।

अध्याय—6

विभागीय क्षमता विकास निति

यद्यपि आपदा प्रबन्धन हेतु किसी विशेष प्रशिक्षण एवं रिहर्सल आदि का विभाग में कोई प्रावधान नहीं है और ना ही शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्युत विभाग हेतु संचालित किया जाता है फिर भी विभागीय स्तर पर कार्मिकों को नियमित रूप से नई तकनीकी एवं उपकरणों की जानकारी, उनके संचालन एवं उपयोग आदि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये जाते रहते हैं जिनका पालन सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा किया जाता है। अभियन्ताओं को विभागीय क्रियाकलापों एवं नई तकनीकी का प्रशिक्षण नियमित अन्तराल पर विभाग द्वारा दिया जाता रहता है ।

अध्याय—7

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं की समीक्षा (review) व उच्चीकरण (updatation) हेतु व्यवस्था

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं की समीक्षा खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित खण्ड एवं मण्डल स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित मण्डल द्वारा समय-समय पर की जाती रहती है। यदि कहीं कोई सुधार एवं परिवर्तन किया जाना आवश्यकीय हो तो उसके लिए सम्बन्धित को निर्देश दिये जाते हैं ताकि योजना क्रियान्वित होते समय कोई कठिनाई ना हो। आपदा के उपरान्त आपदा के समय किये

गये कार्यों की समीक्षा उच्चाधिकारियों द्वारा की जाती है तथा यदि किसी स्तर पर कुछ सुधार अथवा परिवर्तन किया जाना आवश्यकीय हो तो उसके लिए निर्देशित किया जाता है तथा उन निर्देशों का पालन किया जाता है ताकि परिलक्षित त्रुटि दूर हो जाए।

आपदा आगमन की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने सम्बन्धी उपकरणों की स्थापना करना नितान्त आवश्यक है तथा किसी भी प्रकार दैवीय आपदा का सामना करने हेतु विभाग के पास उच्च गुणवत्तायुक्त एवं नवीनतम प्रकार के उपकरणों का होना भी अति आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराया जाय ताकि आपदा की स्थिति में यदि कोई सामग्री आदि भण्डार में उपलब्ध ना हो पाय या समाप्त हो जाय तो उसे स्थानीय स्तर पर क्रय किया जा सके जिससे कि राहत कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न ना होने पाये। विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों के मूल्यांकन (evaluation) के आलोक में विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का उच्चीकरण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष मई माह में अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक सुझाव प्राप्त किये जायेंगे, जिसे कार्ययोजना के उच्चीकरण हेतु शामिल किया जायेगा।

विद्युत वितरण मण्डल रुद्रपुर के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों का विवरण

क्र०	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता	मोबाईल नं
1.	इं. एस.सी. त्रिपाठी	अधीक्षण अभियन्ता	विद्युत वितरण मण्डल रुद्रपुर	9411108210
2.	इं. वी. के. पाण्डेय	अधिशाली अभियन्ता	विद्युत वितरण खण्ड रुद्रपुर	9412091260
3.	इं. जी. सी. आर्या	उपखण्ड अधिकारी	विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम रुद्रपुर	9411108232
4.	इं. संजय कुमार	उपखण्ड अधिकारी	विद्युत वितरण उपखण्ड द्वितीय रुद्रपुर	9412091268
5.	इ. आर. सी. आर्या	उपखण्ड अधिकारी	विद्युत वितरण उपखण्ड किच्छा	9412091263
6.	इं. अन्नु अरोरा	उपखण्ड अधिकारी	विद्युत वितरण उपखण्ड गदरपुर	9412091261
7.	इं. बेगराज सिंह	उपखण्ड अधिकारी	विद्युत वितरण उपखण्ड सिडकूल पन्तनगर	9411108211

विद्युत वितरण मण्डल काशीपुर के अंतर्गत प्रमुख विभागीय अधिकारियों का विवरण

S.L. No.	Name of user Employee	Designation	Name of Division	Contact No.
Electricity Distribution Division (EDD), Kashipur				
1	Shri Vivek Kandpal	Executive Engineer	EDD Kashipur.	9412091291
2	Shri Vivek Kandpal	S.D.O.	EDSD (TOWN) Kashipur.	9412091282
3	Shri Dheeraj Saini	J.E.	33/11KV S/S 20 No. Kashipur.	9412091280
4	Shri Sandeep singh Samant	J.E.	33/11KV S/S Pakkakot Kashipur.	9412091289
5	Shri Hari Shankar Sagar	J.E.	33/11KV S/S Manpur Kashipur.	9412091068
6	Shri Ravindra Kumar Sharma	J.E.	33/11KV S/S 02 No. Kashipur.	7500844466
7	Shri Prakash Chandra Shah	S.D.O.	EDSD (RURAL) Kashipur.	9411108180
8	Shri Naseem Ahamad	J.E.	33/11KV S/S N.D. Nagar, Kashipur.	9412091285
9	Shri Rakesh Kumar Verma	J.E.	33/11KV S/S Sarwarkhera, Kashipur.	9412091283
10	Shri Madan lal	J.E.	33/11KV S/S Kundeshaweri, Kashipur.	9412091281
11	Shri Dheeraj Saini	J.E.	33/11KV S/S Mahuakhera Ganj, Kashipur.	9837648202
Electricity Distribution Division (EDD), Jaspur				
1	Shri Shailender Singh	Executive Engineer	EDD Jaspur.	9412091295
2	Shri Anshul Madan	S.D.O.	EDSD (TOWN) Jaspur.	9412090158
3	Shri Kanwar Singh	JE	33/11KV S/S Jaspur.	9412091323
4	Shri Rajendra Kumar	J.E.	33/11KV S/S Mahuadabra, Jaspur.	9456596383
5	Shri B.C. Satyawali	S.D.O.	EDSD (RURAL) Jaspur.	9412091279
6	Shri Sumit Tyagi	J.E.	33/11KV S/S GarhiNegi, Jaspur.	8194033000
Electricity Distribution Division (EDD), Bazpur				
1	Sh. Vijay Kumar Sakaria	Executive Engineer	EDD Bazpur	9412091286
2	Sh. G.S. Karki	S.D.O.	EDSD (TOWN) Bazpur.	9412091278
3	Sh. Yogesh Kuar	JE	33/11KV S/S Bazpur.	9917478855
4	Sh. B.S. Rana	J.E.	33/11KV S/S Fouji Colony, Bazpur	9917474739
5	Sh. Vinod Kumar	S.D.O.	EDSD, Doraha, Bazpur.	9412091287
6	Sh. Pankaj Kumar	J.E.	33/11KV S/S Doraha, 33/11KV S/S Pipaliya & 33/11KV S/S Kilakhera	9412091292

आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा तात्कालिक रूप से किये जाने वाले कार्य

विद्युत विभाग जनपद- ऊधम सिंह नगर	
1.	<p>किसी भी आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा तत्कालिक रूप से किये जाने वाले कार्य :</p>
<ul style="list-style-type: none"> • विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर त्वरित गति से कार्यवाही कर आपूर्ति सुचारु कराना • परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में परिवर्तक को भण्डार से प्राप्त कर तुरन्त बदलना। • लाइन क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत करना अथवा वैकल्पिक व्यवस्था से आपूर्ति बहाल करना आदि 	<p style="text-align: center;">(उपखण्ड कार्यालय रुद्रपुर)</p> <p>श्री जी०सी० आर्या, उपखण्ड अधिकारी, रुद्रपुर प्रथम (9411108323)</p> <p>श्री संजय कुमार, उपखण्ड अधिकारी, रुद्रपुर, द्वितीय (9412091268)</p> <p>श्री आ०सी०आर्या, उपखण्ड अधिकारी, किच्छा (9412091263)</p> <p>श्री अन्नू अरोरा, उपखण्ड अधिकारी, गदरपुर (9412091261)</p> <p>श्री बेगराज सिंह उपखण्ड अधिकारी, रुद्रपुर, सिडकुल (9411108211)</p> <p style="text-align: center;">(उपखण्ड कार्यालय सितारगंज)</p> <p>श्री अनुज त्रिपाठी, उपखण्ड अधिकारी, सितारगंज, प्रथम (9412091264)</p> <p>श्री कुलदीप सिंह, अवर अभियन्ता, सितारगंज (9412091273)</p> <p>श्री अजित कुमार यादव, उपखण्ड अधिकारी, सितारगंज, द्वितीय (9411108050)</p> <p>श्री गुलजार अहमद, सहायक/अवर अभियन्ता, चोरगलिया, जेलकैम्प एवं शक्तिफार्म (9411108060)</p> <p style="text-align: center;">(उपखण्ड कार्यालय खटीमा)</p> <p>श्री अम्बिका यादव, उपखण्ड अधिकारी, सितारगंज, प्रथम (9412091265)</p> <p>श्री सनी गोस्वामी, अवर अभियन्ता, हल्दी एवं लोहिया हैड (9917474788 एवं 9412091275)</p> <p>श्री पवन उप्रेती, अवर अभियन्ता, खटीमा (9917474773)</p> <p style="text-align: center;">(विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय काशीपुर)</p> <p>श्री विवेक कुमार काण्डपाल, अधि० अभि०/उपखण्ड अधिकारी, (शहरी क्षेत्र) काशीपुर (9412091291)</p> <p>श्री प्रकाश चन्द्र शाह, उपखण्ड अधिकारी, (ग्रामीण क्षेत्र), काशीपुर (9411108180)</p> <p style="text-align: center;">(विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय जसपुर)</p> <p>श्री शैलेन्द्र सिंह, अधि० अभि०, जसपुर (9412091295)</p> <p>श्री अनशुल, उपखण्ड अधिकारी, (शहरी क्षेत्र), जसपुर (9412090158)</p> <p>श्री बी०एस० सत्यावली, उपखण्ड अधिकारी, (ग्रामीण क्षेत्र), जसपुर (9412091279)</p> <p style="text-align: center;">(विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय जसपुर)</p> <p>श्री विजय कुमार, अधि० अभि०, बाजपुर (9412091286)</p> <p>श्री जी०एस० कार्की, उपखण्ड अधिकारी, (शहरी क्षेत्र), बाजपुर (9412091278)</p> <p>श्री विनोद कुमार, उपखण्ड अधिकारी, दोराहा बाजपुर</p>

		(9412091287)
2	घटना की समाप्ति तक किये जाने वाले अन्य कार्य ।	जिम्मेदार अधिकारी का नाम/मोबाईल नं0
	<ul style="list-style-type: none">विद्युत लाइनों की मरम्मत एवं सुदृढीकरण तथा पुर्ननिर्माण कार्यक्षतिग्रस्त परिवर्तकों एवं लाइनों को तत्काल बदलने/ठीक करने हेतु सामग्री की व्यवस्था के लिए लगातार भण्डार स्कन्ध के साथ समन्वय बनाये रखना ।कार्यदायी फर्मों से लगातार सम्पर्क बनाये रखना ।कार्मिकों की कार्यस्थल पर उपस्थिति	<p>(उपखण्ड कार्यालय रुद्रपुर)</p> <p>श्री जी0सी0 आर्या, उपखण्ड अधिकारी, रुद्रपुर प्रथम (9411108323)</p> <p>श्री संजय कुमार, उपखण्ड अधिकारी, रुद्रपुर, द्वितीय (9412091268)</p> <p>श्री आ0सी0आर्या, उपखण्ड अधिकारी, किच्छा (9412091263)</p> <p>श्री अन्नू अरोरा, उपखण्ड अधिकारी, गदरपुर (9412091261)</p> <p>श्री बेगराज सिंह उपखण्ड अधिकारी, रुद्रपुर, सिडकुल (9411108211)</p> <p>(उपखण्ड कार्यालय सितारगंज)</p> <p>श्री अनुज त्रिपाठी, उपखण्ड अधिकारी, सितारगंज, प्रथम (9412091264)</p> <p>श्री कुलदीप सिंह, अवर अभियन्ता, सितारगंज (9412091273)</p> <p>श्री अजित कुमार यादव, उपखण्ड अधिकारी, सितारगंज, द्वितीय (9411108050)</p> <p>श्री गुलजार अहमद, सहायक/अवर अभियन्ता, चोरगलिया, जेलकैम्प एवं शक्तिफार्म (9411108060)</p> <p>(उपखण्ड कार्यालय खटीमा)</p> <p>श्री अम्बिका यादव, उपखण्ड अधिकारी, सितारगंज, प्रथम (9412091265)</p> <p>श्री सनी गोस्वामी, अवर अभियन्ता, हल्दी एवं लोहिया हैड (9917474788 एवं 9412091275)</p> <p>श्री पवन उप्रेती, अवर अभियन्ता, खटीमा (9917474773)</p> <p>(विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय काशीपुर)</p> <p>श्री विवेक कुमार काण्डपाल, अधि0 अभि0/उपखण्ड अधिकारी, (शहरी क्षेत्र) काशीपुर (9412091291)</p> <p>श्री प्रकाश चन्द्र शाह, उपखण्ड अधिकारी, (ग्रामीण क्षेत्र), काशीपुर (9411108180)</p> <p>(विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय जसपुर)</p> <p>श्री शैलेन्द्र सिंह, अधि0 अभि0, जसपुर (9412091295)</p> <p>श्री अनशुल, उपखण्ड अधिकारी, (शहरी क्षेत्र), जसपुर (9412090158)</p> <p>श्री बी0एस0 सत्यावली, उपखण्ड अधिकारी, (ग्रामीण क्षेत्र), जसपुर (9412091279)</p> <p>(विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय जसपुर)</p> <p>श्री विजय कुमार, अधि0 अभि0, बाजपुर (9412091286)</p> <p>श्री जी0एस0 कार्की, उपखण्ड अधिकारी, (शहरी क्षेत्र), बाजपुर (9412091278)</p> <p>श्री विनोद कुमार, उपखण्ड अधिकारी, दोराहा बाजपुर (9412091287)</p>

3	विभागीय संसाधन सूची संसाधन का नाम / जिम्मेदार व्यक्ति का नाम / मोबाईल नं०	अन्य संसाधनों की सूची जिसकी आवश्यकता विभाग द्वारा आपातकाल के दौरान या पश्चात होती है। संसाधन का नाम / फार्म-व्यक्ति का नाम/ मोबाइल नं०
	संलग्नक-1 काशीपुर / सितारगंज विद्युत वितरण खण्ड	---

संलग्नक-1

विभागीय संसाधनों की सूची

क्र०	सामग्री का नाम	इकाई	सितारगंज संख्या	काशीपुर संख्या	रुद्रपुर
1	PCC Pole	No.	80	250	250
2	ST Pole SP-33	No.	10	90	90
3	ST Pole SP-55	No.	12	60	60
4	ST Pole SP-45	No.	10	30	30
5	11 KV X-Arm	No.	25	90	90
6	33 KV X-Arm	No.	10	45	43
7	Disk Insulator	No.	30	90	90
8	Disk Fitting	No.	30	90	90
9	11 KV Pin Insulator	No.	50	230	230
10	11 KV Pin with Nut	No.	50	230	230
11	33 KV Pin Insulator	No.	25	90	90
12	33 KV Pin with Nut	No.	25	90	90
13	11 KV Polymer Disc Insulator	No.	-	90	90
14	33 KV Polymer Disc Insulator	No.	-	90	90
15	Stay Set GI 16x1800 mm	No.	-	35	35
16	Stay Set GI 20x1800 mm	No.	-	30	30
17	Earth Rod	No.	-	45	45
18	T/F 11.04 KV 25 KVA	No.	10	25	25
19	T/F 11.04 KV 63 KVA	No.	10	15	15
20	T/F 11.04 KV 100 KVA	No.	05	15	15
21	T/F 11.04 KV 250 KVA	No.	04	10	10
22	T/F 11.04 KV 400 KVA	No.	-	10	10
23	M.S. Channel 100x50 mm	Kg.	250	900	900
24	M.S. Channel 125x65 mm	Kg.	-	450	450

25	M.S. Angle 65x65x6 mm	Kg.	150	450	450
26	M.S. Angle 75x75x6 mm	Kg.	-	450	450
27	Stay Wire	Kg.	150	450	450
28	Earth Wire	Kg.	45	135	135
29	ACSR Weasle Conductor	m.	3000	8000	8
30	ACSR Rabbit Conductor	m.	-	6000	6
31	ACSR Raccoon Conductor	m.	-	5000	5
32	ACSR Dog Conductor	m.	1500	3000	3
33	LT XLPE Cable 3.5x70 sq.mm	Km.	100	0.8	0.8
34	LT XLPE Cable 3.5x120 sq.mm	Km.	90	0.8	0.8
35	LT XLPE Cable 3.5x240 sq.mm	Km.	-	0.8	0.8
36	LT XLPE Cable 3.5x400 sq.mm	Km.	-	0.4	0.4
37	LT XLPE AB Cable 3x120 + 1x95 sq.mm	Km.	4.5	8.00	8
38	Cable AL 3x70 sq. mm XLPE 11KV	Km.	-	0.6	0.6
39	Cable AL 3x120 sq. mm XLPE 11KV	Km.	0.2	0.3	0.3
40	Cable AL 3x150 sq. mm XLPE 11KV	Km.	0.3	0.3	0.3
41	Cable AL 3x185 sq. mm XLPE 11KV	Km.	0.2	0.3	0.3
42	Cable AL 3x240 sq. mm XLPE 11KV	Km.	-	0.5	0.5
43	Cable AL 3x300 sq. mm XLPE 11KV	Km.	0.2	0.5	0.5
44	Cable AL 3x70 sq. mm XLPE 33KV	Km.	-	0.5	0.5
45	Cable AL 3x120 sq. mm XLPE 33KV	Km.	-	0.5	0.5
46	Cable AL 3x300 sq. mm XLPE 33KV	Km.	-	0.5	0.5
47	Cable AL 3x400 sq. mm XLPE 33KV	Km.	-	0.5	0.5